CNR NO. UPGZ01-010813-2022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-13 गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

विविध वाद संख्या 21/2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-250/2022)

श्रीमती अमिता सिंह बनाम श्रीमती बिरोज सिन्हा आदि

उपस्थित:-

1–वादिनी श्रीमती अमिता सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।

2–प्रतिवादीगण संख्या 08 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री विकास चौधरी।

04-07-2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार की तरफ से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 53ग जरिये विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादपत्र के पैरा 5 में किये गये संशोधन से संबंधित दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 53ग में संक्षेप में कथन किया गया है कि वादी द्वारा पत्रावली उपरोक्त में वादपत्र के पैरा 5 में संशोधन हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 8 को अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने का समय दिया गया था, परन्तु प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 के पास वादी द्वारा वादपत्र के पैरा संख्या 5 में उल्लिखित वादिनी श्रीमती अमिता सिंह के विवाह एवं पंजीकरण विवाह से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 अपना लिखित कथन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सका है।

प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 8 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी से वादपत्र के पैरा संख्या 5 में उल्लिखित अमिता सिंह के विवाह एवं विवाह पंजीकरण दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 8 को उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा पारित संशोधन आदेश दिनांक 08-05-2023 का है व आज लगभग दो माह का समय व्यतीत होने के पश्चात भी जिसमें कि प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली से आवश्यक दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि लेने व जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय था। प्रतिवादीगण द्वारा फिर भी इसके संदर्भ में कोई प्रयास किया जाना प्रतीत नहीं होता व आदेशित संशोधन से पत्रावली व वादपत्र की प्रकृति में कोई बदलाव होना अंकित नहीं है एवं पूर्व में वर्णित तथ्यों का ही स्पष्ट रूप से विदित होने के कारण ही संशोधन आदेशित किया था। डब्लू. एस. दाखिल करने के लिए 120 दिन से भी अधिक का समय प्रदान किया जा चुका है, परन्तु आज दिनांक तक प्रतिवादीगण द्वारा डब्लू.एस. दाखिल नहीं किया गया है तथा डब्लू. एस. दाखिल करने की समयसीमा व्यतीत हो चुकी है। प्रार्थी/ प्रतिवादीगण संख्या 08 प्रार्थनापत्र वाद को विलम्बित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तद्अनुसार विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष के आधार पर अंकन 200/- रूपये हर्जा प्रतिवादीगण पर अधिरोपित कर प्रार्थना पत्र कागज संख्या 53ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 53ग अंकन 200/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अगली नियत तिथि पर देय होगा। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र कागज संख्या 54ग दिनांक 11.07.2023 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०-13 गाजियाबाद।